GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2018/TG-I/20/JTBS Pending Issues New Delhi dated 13.08.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 42 OF 2018)

Sub: Modification in the Jan Sadharan Ticket Booking Sewak (JTBS) policy.

With a view to facilitating issuing of unreserved tickets outside railway premises, a scheme of Jan Sadharan Ticket Booking Sewak (JTBS) was initially launched as a pilot project on Northern Railway vide this office letter dated 28.06.2006. Subsequently, the scheme was extended to all Zonal Railways.

1.1 The scheme has been reviewed from time to time and provisions of the scheme have been revised/clarified vide CC no. 03 of 2009, CC no. 15 of 2010, CC no. 41 of 2010, CC no. 12 of 2014 and CC no. 38 of 2014.

2. The JTBS scheme has been further reviewed in consultations with Finance Directorate of the Ministry of Railways to make certain modifications in the scheme. The modifications are as follows:-

S. No.	Feature of the scheme	Existing Provision	Revised Provision
1.	Telephone Connection	As per Para 3 (c) of CC no. 12/2014, the JTBS applicant with a telephone connection in his office or residence is preferred.	DELETED
2.	Single security deposit	As per Para 3 (e) of CC no. 12/2014, JTBS applicant should be prepared to give ₹ 5,000/- refundable security deposit & ₹ 20,000/- Bank Guarantee to the Railway. On completion/ termination of contract, pending dues are adjusted from the Security deposit and balance refunded to JTBS.	One-time deposit of ₹ 25,000/- in form of banker cheque/demand draft shall be deposited by the JTBS applicant against any dues that may arise during the period of contract. On completion/ termination of contract, pending dues will be adjusted from the Security deposit and balance refunded to JTBS.
3.	(a) Commission payable to JTBS	As per Para 4 (ii) of CC no. 12 of 2014, JTBS collects ₹ 1/- per passenger as Commission from the passengers.	JTBS will collect ₹ 2/- per passenger as Commission from the passengers.

-2/-

	(b) Renewal of season ticket	As per Para 4 (iii) of CC no. 12/2014, JTBS operators are allowed to renew season tickets. Each season ticket is treated as a single ticket/single passenger for the purpose of service charge.	JTBS operators are allowed to renew season tickets. JTBS will realise service charges be @ ₹ 5/- per season ticket.
	As YTSKs have been allowed to realise service charges for issuing unreserved tickets at par with that being realised by JTBS, YTSKs shall also realise service charges for unreserved tickets as prescribed above.		
4.	Tenure of the Contract	As per Para 7 of CC no. 12 of 2014, initial period of contract is for 3 years which can be extended yearly on the basis of satisfactory performance for the next 3 years. Thereafter, fresh applications are called for in which the existing JTBS are also eligible to apply. However, a relaxation to this clause exists. As per CC no. 38 of 2014, the license of JTBS is considered for extension beyond a period of 6 years (3 initial years plus 3 years of extension) on yearly basis subject to certification of satisfactory performance (both financially as well as operationally) by Sr. DCM/DCM (in charge) as the case may be.	Initial period of contract shall be 3 years which can be renewed after every 3 years based on satisfactory performance. In case of existing JTBS this period shall be made effective from the date of next renewal.
5.	Nomination of heir	As per, Para 4 (vii) of CC no. 12/2014, JTBS cannot sublet/assign or transfer the rights or obligations arising out of the contract. In case of death of the licensee, the license is transferred to his/her legal heir(s) for the unexpired period of license by the competent authority and legal heir(s) are also eligible to apply for extension of the license as per the provision of the policy.	The following clause may be added in the scheme: "The JTBS will indicate two (02) nominees/legal heirs in whose name the license should be transferred in case of death of the JTBS. In case the nominee 1 passes away before the JTBS or is unwilling to continue as JTBS after the demise of the original allottee, nominee 2 shall be asked to continue as JTBS. However, necessary provisions must be made in the agreement by the contract executing division. Further, the selected JTBS shall nominate the legal heir at the time of entering into the agreement. In case the nominee pre-deceases the JTBS then a replacement can be made. If the

-3/-

			JTBS dies without a nominee the contract shall stand terminated."
6.	Utility for on-line register for issue of tickets	As per Para 4 (x) of CC no. 12 of 2014, proper record of ticket rolls issued to the JTBS is kept by the Commercial Department of the stations serving the JTBS.	Provision of a utility for online register to be made by CRIS for issue of ticket by stations to JTBS and capturing of all transactional data. Further, Ticket issued Register to be maintained by the contractor and the station/division.
7.	Inspection utility	As per Para 5 (b) of CC no. 12/2014, a close watch is to be kept on the working of JTBS and irregularity, if any, is to be reported to the concerned DCM/Sr. DCM for taking immediate corrective action.	No change. However, an inspection utility may be created by CRIS as per requirement of division so as to have a record of frequency of checks on JTBS and irregularities detected. This can also be used to draw MIS for assessing the pattern of sale of tickets so as to avert any fraud.

3. The aforesaid modifications delineated vide items no. 1, 2 & 4 will take effect at the time of next renewal in case of existing JTBS and prospectively from the date of issue of this circular in case of fresh engagement of JTBS. Modifications indicated vide item no. 3 will take effect from 01.09.2018. For modifications delineated at items no. 6 & 7, CRIS will make necessary modifications in the software and intimate the date of effect to all Zonal Railways and this office. For modification at S.No.5, existing JTBS should be asked to give the same immediately and it should be indicated in the agreement to be signed at the time of renewal. In case of freshly appointed JTBS, it will be incorporated in the agreement.

4. Necessary instructions may accordingly be issued to all concerned.

5. All the remaining provisions of the existing policy shall remain unchanged.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

13/8/18

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

13/8/18

(Pallavi Joshi)
Director Finance Commercial
Railway Board

No. 2018/TG-I/20/JTBS Pending Issues

Dated: 13.08.2018

Copy forwarded to:

PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

13/8/18

for Financial Commissioner, Railways

40/2018
22/2018

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-226001l.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/टीजी-I/20/जेटीबीएस पेंडिंग इश्यूज़ नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 42)

विषय: जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) नीति में आशोधन।

रेल परिसर के बाहर अनारक्षित टिकटें जारी करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, इस कार्यालय के दिनांक 28.06.2006 के पत्र के तहत आरंभ में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में उत्तर रेलवे में जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) योजना शुरू की गई थी। इसके पश्चात, इस योजना को सभी क्षेत्रीय रेलों में लागू किया गया।

1.1 समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की गई है और 2009 के सीसी सं. 03, 2010 के सीसी सं. 15, 2010 के सीसी सं. 41, 2014 के सीसी सं. 12 और 2014 के सीसी सं. 38 के तहत इस योजना के प्रावधानों को संशोधित/स्पष्ट किया गया है।

2. इस योजना में कुछ आशोधन करने के लिए रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से जेटीबीएस योजना की पुन: समीक्षा की गई।
आशोधन निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	योजना की विशेषताएँ	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	टेलीफ़ोन कनैक्शन	सीसी सं. 12/2014 के पैरा 3(सी) के अनुसार, जेटीबीएस आवेदक, जिनके पास कार्यालय अथवा आवास में टेलीफ़ोन कनैक्शन है, को वरीयता दी जाएगी।	हटा दिया गया है।
2.	एकल प्रतिभूति जमा	सीसी सं. 12/2014 के पैरा 3 (ई) के अनुसार, जेटीबीएस आवेदक, रेलवे को ₹ 5,000/- प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप और ₹ 20,000/- बैंक गारंटी देने के लिए तैयार होने चाहिए। अनुबंध के समाप्त/रद्द होने पर, बकाया राशि का प्रतिभूति निक्षेप से समायोजन किया जाता है और शेष राशि जेटीबीएस को वापस कर दी जाती है।	अनुबंध की अवधि के दौरान संभावित बकाया राशि के निमित जेटीबीएस आवेदक द्वारा ₹ 25,000/- की एकमुश्त जमा राशि बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जाएगी। अनुबंध के समाप्त/रद्द होने पर, लंबित बकाया राशि को प्रतिभूति जमा से समायोजित किया जाएगा और शेष राशि जेटीबीएस को वापस कर दी

Ym
4 card 6.11.18

-2/-

			जाएगी।
3.	(क) जेटीबीएस को देय कमीशन	2014 के सीसी सं. 12 के पैरा 4 (ii) के अनुसार, जेटीबीएस यात्रियों से कमीशन के रूप में ₹ 1/- प्रति यात्री वसूल करेगा।	जेटीबीएस यात्रियों से कमीशन के रूप में ₹ 2/- प्रति यात्री वसूल करेगा।
	(ख) सीज़न टिकट का नवीकरण	सीसी सं. 12/2014 के पैरा 4 (iii) के अनुसार, जेटीबीएस संचालकों को सीज़न टिकटों के नवीकरण की अनुमति होती है। सेवा प्रभार के उद्देश्य से प्रत्येक सीज़न टिकट को एकल टिकट/एकल यात्री समझा जाता है।	जेटीबीएस संचालकों को सीज़न टिकटों के नवीकरण की अनुमति है। जेटीबीएस ₹ 5/- प्रति सीज़न टिकट की दर से सेवा प्रभार वसूल करेंगे।
	चूंकि वाईटीएसके को अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए जेटीबीएस द्वारा वसूल किए जा रहे सेवा प्रभार के समतुल्य सेवा प्रभार वसूल करने की अनुमति दी गई है, इसलिए वाईटीएसके भी उक्त उल्लिखित अनुसार अनारक्षित टिकटों के लिए सेवा प्रभार वसूल करेंगे।		
4.	अनुबंध की अवधि	2014 के सीसी सं. 12 के पैरा 7 के अनुसार, अनुबंध की आरंभिक अवधि 3 वर्ष है, जिसे प्रति वर्ष संतोषजनक निष्पादन के आधार पर अगले 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके पश्चात, नए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें मौजूदा जेटीबीएस भी आवेदन करने के पात्र होते हैं। हालांकि, इस खंड के तहत छूट का प्रावधान है। 2014 के सीसी सं. 38 के अनुसार, जेटीबीएस के लाइसेंस को वरिष्ठ डीसीएम/ प्रभारी डीसीएम, जैसा भी मामला हो, द्वारा संतोषजनक कार्य निष्पादन (वित्तीय और परिचालनिक दोनों) के प्रमाणीकरण के अध्यधीन वार्षिक आधार पर 6 वर्ष की अवधि (3 आरंभिक वर्ष और 3 वर्ष का विस्तार) से आगे	अनुबंध की आरंभिक अवधि 3 वर्ष होगी, जिसका प्रत्येक 3 वर्ष के बाद संतोषजनक कार्यनिष्पादन के आधार पर नवीकरण किया जाएगा। मौजूदा जेटीबीएस के मामले में, यह अवधि अगले नवीकरण की तारीख से लागू होगी।

Mcold 6.11.18

		बढ़ाने पर विचार किया जाता है।	
5.	उत्तराधिकारी का नामांकन	सीसी सं. 12/2014 के पैरा 4 (vii) के अनुसार, जेटीबीएस अनुबंध से उत्पन्न हो रहे अधिकार अथवा बाध्यता को सबलेट/सौंप अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। लाइसेंसधारक की मृत्यु के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस के वैध उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा और वैध उत्तराधिकारी लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए नीति के प्रावधानों के अनुसार आवेदन करने के भी पात्र होते हैं।	इस योजना में निम्नलिखित खंड शामिल किया जाए: "जेटीबीएस दो (02) नामितियों/वैध उत्तराधिकारियों के नाम का उल्लेख करेगा, जिसके नाम पर जेटीबीएस की मृत्यु के बाद लाइसेंस का हस्तांतरण किया जाए। यदि नामिती 1 की जेटीबीएस से पहले मृत्यु हो जाती है अथवा वास्तविक आवंटिती की मृत्यु के बाद जेटीबीएस के रूप में काम करने का इच्छुक नहीं है, तो नामिती 2 को जेटीबीएस को काम करने के लिए कहा जाएगा। बहरहाल, अनुबंध कार्यपालन मण्डल द्वारा करार में आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, चयनित जेटीबीएस करार करते समय वैध उत्तराधिकारी नामित करे। यदि नामिती की मृत्यु जेटीबीएस से पहले हो जाती है, तो बदलाव किया जा सकता है। यदि जेटीबीएस की मृत्यु नामिती का नाम बताए बिना हो जाती है, तो अनुबंध रद्द समझा जाएगा।
6.	टिकटें जारी करने के लिए ऑन-लाइन रजिस्टर की उपयोगिता	2014 के सीसी सं. 12 के पैरा 4 (x) के अनुसार, जेटीबीएस को जारी किए गए टिकट रोलों का सही रिकॉर्ड जेटीबीएस सुविधा दे रहे स्टेशनों के वाणिज्यिक विभाग द्वारा रखा जाता है।	स्टेशनों द्वारा जेटीबीएस को जारी किए गए टिकटों और सभी लेन-देन डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए क्रिस द्वारा ऑनलाइन रजिस्टर के उपयोग करने का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा, अनुबंधदार और स्टेशन/मण्डल द्वारा जारी किए गए टिकटों का रजिस्टर रखा जाए।
7.	निरीक्षण उपयोगिता	सीसी सं. 12/2014 के पैरा 5 (बी) के अनुसार, जेटीबीएस की कार्य पद्धति पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और अनियमितता पाए	कोई बदलाव नहीं है। बहरहाल, मण्डल की आवश्यकता के अनुसार क्रिस द्वारा जांच उपयोगिता तैयार की जाए, ताकि जेटीबीएस पर बार-

Ylm
Model 6.11.18

		जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित डीसीएम/वरिष्ठ डीसीएम को रिपोर्ट किया जाता है।	बार की गई जांचों और पता लगाई गई अनियमितताओं का रिकॉर्ड रखा जा सके। टिकटों की बिक्री के पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए एमआईएस बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली से बचा जा सके।

3. मद सं. 1, 2 और 4 के तहत अंकित उक्त आशोधन, मौजूदा जेटीबीएस के मामले में अगले नवीकरण के समय पर और भविष्य में नए जेटीबीएस के चयन के मामले में, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। मद सं. 3 के तहत उल्लिखित आशोधन 01.09.2018 से लागू होंगे। मद सं.6 और 7 में अंकित आशोधनों के लिए, क्रिस द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन किए जाएंगे और सभी क्षेत्रीय रेलों और इस कार्यालय को लागू करने की तारीख के बारे में क्रिस द्वारा सूचित किया जाएगा। क्र.सं.5 के आशोधन के लिए, मौजूदा जेटीबीएस को इसे तत्काल प्रदान करने को कहा जाना चाहिए और नवीकरण के समय हस्ताक्षरित करार में इसका उल्लेख जाना चाहिए। नवनियुक्त जेटीबीएस के मामले में, इसे करार में समाहित किया जाएगा।

4. सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

5. मौजूदा नीति के शेष सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

6.11.18
(पल्लवी जोशी)
निदेशक वित्त वाणिज्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/टीजी-I/20/जेटीबीएस पेंडिंग इश्यूज़ दिनांक: 13.08.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:
प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

6.11.18
कृते वित्त आयुक्त, रेलें

-5/-

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता (टी), पीपीएस/एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं ।
3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. प्रबंधनिदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/ भुसावल, पूर्व रेलवे/ भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/ सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली ।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.